RJPP, Vol. 15, No. 3, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 43279

भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

डॉ0 नीलिमा सिंह
एसो0 प्रो0, राजनीति विज्ञान, राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय,
(संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद

सारांश

भारत में वैदिक काल में मान्यता रही है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं परन्तु कालान्तर में महिलाओं की गरिमामयी स्थिति का पराभव होने लगा और उनकी स्थिति अनेकानेक कारणों से निर्बल व दयनीय होती गयी। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया तथा स्वतंत्रता पश्चात निर्मित भारतीय संविधान में अनेक उपबंधों के माध्यम से महिला अधिकारों को स्थान प्रदान कर उन्हें सश्क्त करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में घोषित किया गया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकानेक प्रयास किये गये। आज स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सफल हो रही हैं पर ऐसी स्त्रियों की संख्या अत्यधिक कम है जिसे स्त्री प्रगति की सही तस्वीर नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम और महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द *: सशक्तिकरण, आयाम, भारतीय संविधान, महिला साक्षरता*

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 नीलिमा सिंह

भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

RJPP 2017, Vol. 15, No. 3, pp. 81-85
Article No. 12 (RP589)

Online available at :
http://anubooks.com/?page_id=2004

डॉ0 नीलिमा सिंह

महिला सशक्तिकरण' शब्द ही इस बात का सूचक है कि महिला अबला है, अशक्त है, कमजोर है। उसे शक्ति प्रदान करने, सबल एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह एक चिन्तनीय विषय है क्योंकि भारत में वैदिक काल में मान्यता रही है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं लेकिन साथ ही साथ उप निशदों–पुराणों के समय से ही स्त्रियों को लेकर जिन नियमों और मर्यादाओं की रचना हुई, उससे स्त्री की स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के विरुद्ध परम्पराओं ने भारतीय समाज में गहरी जड़े जमा लीं। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में स्त्री को पुरुष के समकक्ष स्वतंत्रता और समानता प्रदान कर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्श' के रूप में घोषित किया गया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकानेक प्रयास किये गये। आज स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र न्याय, शिक्षा, राजनीति, समाज, खेल, विज्ञान, तकनीक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बनाया है पर ऐसी सम्मानित स्त्रियों की संख्या अत्यधिक कम है परन्तु यह स्त्री प्रगति की सही तस्वीर नहीं है। आज भी स्त्री अपनी अस्मिता, गरिमा और 'व्यक्ति' के रूप में अपनी पहचान के लिए संघर्षरत है।

महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम हैं जिन्हें समय–समय पर समझा गया है और इसके लिये तरह–तरह की नीतियाँ व परियोजनायें बनायी गई हैं। विचार–विमर्श के दौरान महिलाओं की अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, गरीबी और उसके जीवन पर परम्पराओं की जकड़ को उनकी कमजोर स्थिति के लिये उत्तरदायी माना गया है। अतएव इन बुराईयों को दूर कर महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास किये गये हैं।

महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रबल माध्यम महिला मानवाधिकार को माना गया है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों में लगभग 1/3 अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14–32 में वर्णित विविध मौलिक अधिकार स्त्री पुरुष को बिना भेद के समान रूप से प्रदान किये गये हैं। भारतीय संविधान के भाग–IV में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी मानवाधिकारों के दर्शन होते हैं और महिला समानता के प्रयास दिखायी देते हैं। 42वें संविधान सशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'मूल कर्तव्य' को सम्मिलित कर ऐसी प्रथाओं को त्याग करने को कहा गया है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। भारत में 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी और 1994 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के साथ ही साथ 'मानव अधिकार न्यायालयों' के गठन का भी प्रावधान किया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक स्वायत्तषासी एवं वैधानिक संस्था के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी महिला आयोगों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त अनेकानेक विधियाँ उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दु विवाह अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की विविध धाराओं द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गयी है। न्यायालयों ने भी समय–समय पर इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

महिलाओं की शारीरिक और मानसिक अस्मिता की रक्षा के सवाल सशक्तिकरण हेतु गंभीरता से उठाये गये। महिला केन्द्रित हिंसा के घर से लेकर कार्यस्थल तक बढ़ते हुए ज्वार को देखते हुए हाल

ही में 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' पारित किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का भय जो शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक सभी को घरेलू हिंसा में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता महिला को शीघ्र न्याय प्रदान करने एवं सुरक्षा हेतु अनेक उपाय किये गये हैं। जो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम प्रदान करेगा। भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ यौन उत्पीड़न घटनाएं बढ़ने लगी हैं। *विशाका* बनाम *स्टेट ऑफ राजस्थान* (ए.आई. आर. 1977, एस.सी. 3011) के महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए कतिपय दिशानिर्देश जारी कर यौन–उत्पीड़न में विविध कृत्यों को सम्मिलित किया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के फलस्वरूप कामकाजी महिलाओं की अस्मिता की रक्षा का सफल प्रयास किया गया।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के उपरान्त भी महिला के अधिकार एवं स्वयं महिला सुरक्षित नहीं है। महिला का सशक्तिकरण एक स्वस्थ समाज की अति आवश्यक शर्त है। स्त्री–पुरुष असमानता का आधार समाज और परंपराओं में निहित है। पुत्र का वंश वाहक, पितृ ऋण चुकाने वाला अन्तिम संस्कार और श्राद्ध की अनिवार्यता आदि ऐसे कारक हैं जिससे आज भी भारतीय समाज में लिंग विभेद व्यापक रूप से विद्यमान है और स्त्री को उसके जीने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। प्राचीन समय में यह कन्या शिशु हत्या के रूप में प्रचलित था तो विज्ञान एवं तकनीक की उन्नति के फलस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या में परिवर्तित हो गया है। लिंग निर्धारण टेस्ट और भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक के उपरान्त भी यह प्रक्रिया चोरी छिपे चल रही है जिसका दुष्प्रभाव यह है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 927 महिला का अनुपात शेष रह गया है। आश्चर्यजनक तो यह है कि शिक्षित और आज की सशक्त कही जाने वाली महिलायें भी कहीं न कहीं इन परंपराओं को ढोती नजर आती हैं। फर्क इतना है कि वे उन्हें अपने अनुरूप ढ़ाल लेती हैं। अतएव आवश्यकता उन मूल मान्यताओं पर प्रहार करने की है जो इस विभेद के आधार हैं।

शिक्षित महिला को सशक्त महिला के रूप में देखा जाता है और यही कारण है कि सरकारों के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से स्त्रियों में साक्षरता और शिक्षा का प्रसार करने के लिये अनेक कदम उठाये गये। लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी और शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन कर इस बात का प्रयास किया गया कि शिक्षा द्वारा महिलाओं को सदियों की रुढ़िवादी मान्यताओं से मुक्ति प्राप्त होगी परन्तु तमाम व्यवस्थाओं के उपरान्त भी 'रोना' आज भी स्त्रियोचित गुण है और 'बहादुरी' या 'साहस' पुरुषोचित। महिला की शिक्षा कितनी उपेक्षित है यह उपलब्ध आँकड़े स्वतः प्रमाणित कर देते हैं – 70 प्रतिशत लड़कियाँ 10वीं तक शिक्षा छोड़ देती है, 100 में से एक लड़की विश्वविद्यालय स्तर तक पहुँच पाती है और महिला साक्षरता का प्रतिशत केवल 65.46 ही है।

महिला सशक्तिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सक्षमता को माना गया है। सरकारों द्वारा महिलाओं के लिये रोजगारों, महिला केन्द्रित रोजगारों की स्थापना तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा भी महिला सहकारी संस्थाओं के गठन के प्रयास किये गये। इस दिशा में कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई है और 'सशक्त महिला' का रूप सामने आया है। परन्तु ये 'सशक्त महिलायें उन करोड़ों

महिलाओं के एक प्रतिशत का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती जो शोषण से पीड़ित है। आधुनिक जीवन और आर्थिक परिस्थितियों की रस्साकशी में महिलाओं के लिये कमाकर लाना अनिवार्य हो गया है जिससे घर में उसकी हैसियत थोड़ी बढ़ी है परन्तु परम्परागत कार्य – बच्चों का पालन पोषण, घरेलू कार्य आदि उसी की जिम्मेदारी है। घर में उसकी समान सहयोगी की भूमिका नहीं है और कुछ प्रतिशत मामलों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में निर्णय लेने या अपनी आय को अपनी इच्छा से व्यय करने का अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं है। इसीलिये मृणाल पाण्डेय ने उचित ही प्रश्न उठाये हैं कि[1] :

1. अगर स्त्री के शोषण की वजह सिर्फ उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति है, तो क्या हम आज भारतीय शहरों में रहने वाली अकेली कामकाजी स्त्री को शोषण से मुक्त मान सकते हैं?
2. क्या वह शहरी स्त्री, जो उपभोक्ता–संसाधनों की बड़ी ग्राहक है, समाज में उपभोग के नियमों और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित भी करती है?
3. सम्पन्न घराने की महिलायें भी गृहस्थी से लेकर बाहरी क्षेत्र तक में जो निर्णय लागू करती दिखती है, क्या उन्हें वे स्वयं तय करती हैं?

भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप सरकार की उदारीकरण की नीति ने भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात किया है। बेकारी के कारण महिलायें घर ही नहीं देश भी छोड़ रही हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आज्ञाकारी किस्म के सस्ते श्रम की पूर्ति महिला श्रमिक ही करती हैं।[2]

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को उनके सशक्तिकरण से सीधे जोड़ कर देखा जा रहा है। महिलाओं को निर्णय करने की प्रक्रिया से जोड़ने और आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती ढाँचे में महिलाओं के लिये एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये और यह आरक्षण केवल सदस्यों के स्तर पर ही लागू नहीं किया गया बल्कि एक तिहाई अध्यक्ष पद भी महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये। इस व्यवस्था के फलस्वरूप लगभग 11 लाख महिलायें पंचायत प्रधान, प्रमुख और मुखिया हैं परनतु इनमें से कितने प्रतिशत महिलायें वास्तव में अपने अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं, यह विचारणीय है। यद्यपि उनमें राजनीतिक चेतना जागृत हुयी है परन्तु अब भी पिता, पुत्र व भाई के निर्देशों पर कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का विचार विवादास्पद हो गया है। महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण विषयक विधेयक पिछले कई वर्षों से पारित नहीं हो सका है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु सीधे संसद में स्थानों के आरक्षण के स्थान पर राजनीतिक दलों की आचार संहिता में नियम बनाकर महिलाओं को स्थान प्रदान करने का उपाय करना चाहिए। महिलायें जो स्वयं सक्षम हैं अपनी मेधा तथा प्रतिभा से स्वयं संसद तक का सफर बिना आरक्षण तय कर सकती हैं। जब हम प्राथमिक स्तर से शुरू करेंगे तभी ऊपर तक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल हुये हैं। महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता के परिणामस्वरूप ही विभिन्न क्षेत्रों में महिलायें गरिमामय पद पर आसीन मिल रही हैं। पुरुष सोच में भी परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तित सोच का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल में MASVAW (Men's Action for Stopping Violence Against

Women) जैसे पुरुष संगठन कार्यरत हैं जो हिंसा एवं लैंगिक दुराचार से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करते है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस संगठन द्वारा प्रस्तुत मामलों को स्वीकार कर रहा है। सशक्तिकरण की पहली शर्त है एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नारी प्रतिष्ठा की जिसके लिये भारतीय समाज में व्याप्त महिला विभेद सम्बन्धी मूल्यों और प्रतिमानों में परिवर्तन करना व उनके विरुद्ध जनचेतना जागृत करना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा, संचार माध्यमों, राजनीतिक दलों सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों द्वारा ही संभव है। नारी मुक्ति, नारी सशक्तिकरण व नारी विकास ये तीनों साथ–साथ अग्रसर होने चाहिए। जिस दिन स्त्रियों को वस्तु के स्थान पर 'व्यक्ति' के रूप में स्वीकार किया जायेगा उसी दिन से अनेकानेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अबला मानने के कारण सदियों से चले आ रहे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को पूर्णता प्राप्त हो जायेगी।

संदर्भ :

1. स्त्री – देह की राजनीति से देश की राजनीति तक – लेखिका मृणाल पाण्डे का लेख – 'देखो, एक आजाद औरत की गुलामी' पृष्ठ 51।
2. भारत का भूमण्डलीकरण – सम्पदाक अभय कुमार दुबे का लेख 'पितृसत्ता के नये रूप' पृष्ठ 220–254 में भूमण्डलीकरण का महिलाओं पर दुष्प्रभाव का विस्तृत विवेचन है।

अन्य *संदर्भ* सूची

1. स्त्री, परंपरा और आधुनिकता, सम्पादक राज किशोर, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2004।
2. स्त्री – देह की राजनीति से देश की राजनीति तक – मृणाल पाण्डे, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लि. जगतपुरी, दिल्ली, 2002।
3. दुर्ग द्वार पर दस्तक – कात्यायनी, परिकल्पना प्रकाशन, जनचेतना, निराला नगर, लखनऊ, 2004।
4. योजना, मार्च 2004।
5. आधी जमीन (ऐपवा का मुखपत्र) विशेषांक अक्टूबर–दिसम्बर, 2001।
6. स्त्री के लिये जगह, सम्पादक राजकिशोर वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2004।
7- The Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005 alongwith Protection of Women From Domestic Violence Rules 2006, Published by Hind Publishing House, 1 M.G. Marg, Allahabad.
8- Sahara Time, November 11, 2006.
9- Sahara Time, December 30, 2006.
10- The Economic Times, 5th October, 2005.
11- Women In Indian Society, Neera Desai and Usha Thakkar, NBT 2001.